भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2607

24 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत आवास निर्माण लक्ष्य

2607. श्री अखिलेश प्रसाद सिंहः

श्री हरीस बीरनः

श्री नीरज डांगीः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आवास निर्माण लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस योजना के लिए बजट आवंटन में 34.4 प्रतिशत की भारी कटौती के क्या कारण हैं;

(ग) कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और कितनी इकाइयां लाभार्थियों को सौंप दी गई हैं, तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान निधि उपयोग की राज्य-वार स्थिति क्या है; और

(ङ) शहरी आवासीय परियोजनाओं की वहनीयता और संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना को चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

पीएमएवाई-यू मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाता है और इसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में अपनी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता का आकलन करते हैं। मांग सर्वेक्षण

और लाभार्थियों के चयन के आधार पर, परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं ताकि केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा केंद्रीय सहायता जारी करने पर आगे विचार किया जा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 17.03.2025 तक योजना के अंतर्गत शुरूआत से अब तक कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 112.74 लाख आवास निर्माणाधीन हैं। जिनमें से 91.50 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। पिछले वर्ष 5 वर्षों में शुरुआत से अब तक योजना के तहत स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण और सौंपे आवासों की संख्या तथा स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएवाई-यू की योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अनुपालनों के आधार पर आवासों के निर्माण के लिए 40%, 40% और 20% की तीन किस्तों में केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। वित्तीय वर्ष के लिए बजट आवंटन वर्ष के दौरान योजना के तहत प्रत्याशित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त दावों के अनुसार उपयोग किया जाता है। प्राप्त दावों और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत कटौती/रद्दीकरण प्रस्तावों के आधार पर, बजटीय अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई) तय किए जाते हैं। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ योजना की प्रगति पर नियमित समीक्षा करता है, जिसमें केन्द्रीय सहायता का समय पर जारी होना और उसका उपयोग तथा विस्तारित योजना अवधि अर्थात 31.12.2025 तक सभी स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य पूरा होना सुनिश्चित करना शामिल है।

(ङ): पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन का शुभारंभ किया है ताकि चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास का निर्माण, खरीदा और किराये पर लिया जा सके। आवासों की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा अनिवार्य है। न्यूनतम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें सामर्थ्य बढ़ाने के लिए अतिरिक्त टॉप-अप शेयर भी प्रदान कर सकती हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) के लिए निम्न आय आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) का पुनर्गठन किया है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, एचएफसी आदि से लिए गए आवास ऋण पर गारंटी देकर पात्र परिवारों की ऋण पहुंच और पात्रता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य ईडब्ल्यूएस/एलआईजी से संबंधित पीएमएवाई-यू 2.0 के पात्र लाभार्थियों को वित्तीय संस्थाओं से किफायती गृह ऋण के माध्यम से समय पर अपना आवास पूरा करने में मदद करना है, जिससे कार्यक्रम के उद्देश्यों में सीधे योगदान दिया जा सके। इसके अलावा, अनौपचारिक क्षेत्रों के लाभार्थियों की मदद के लिए वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा बैंकों के साथ विशेष गृह ऋण उत्पाद विकसित किए गए हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से पीएमएवाई-यू 2.0 के लाभार्थियों को गृह ऋण की सुविधा प्रदान करेंगें।

*****

दिनांक 24-03-2025 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2607 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के तहत पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2019-24) के दौरान स्वीकृत और जारी की गई केन्द्रीय सहायता सहित स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण और सौंपे गए आवासों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा।

क्र. सं		राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत आवास (संख्या)	निर्माणाधीन आवास (संख्या)	पूर्ण आवास (संख्या)	सौंपे गए (संख्या)	पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	
							स्वीकृत	जारी **
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	21,37,028	18,26,416	10,35,585	9,49,754	24,929.54	17,569.87
2		बिहार	3,14,477	2,92,162	1,74,892	1,74,841	1,788.89	2,017.00
3		छतीसगढ	3,02,663	2,85,059	2,52,702	2,34,197	2,693.71	3,030.35
4		गोवा	3,146	3,146	3,145	3,145	63.31	63.31
5		गुजरात	10,05,204	9,79,703	9,41,063	8,94,378	13,536.31	13,851.73
6		हरियाणा	1,15,034	90,547	69,824	69,808	778.01	1,034.98
7		हिमाचल प्रदेश	12,758	12,640	11,128	11,110	133.32	138.86
8		झारखंड	2,29,156	2,10,616	1,55,631	1,52,483	1,739.67	1,594.34
9		कर्नाटक	6,38,121	5,13,148	3,86,827	3,42,333	3,641.54	4,135.01
10		केरल	1,67,322	1,54,637	1,31,305	1,31,204	1,372.14	1,285.51
11		मध्य प्रदेश	9,61,147	9,44,071	8,52,134	8,41,876	7,554.27	9,479.69
12		महाराष्ट्र	13,64,923	11,49,476	9,64,134	9,07,124	15,895.65	14,861.40
13		ओडिशा	2,03,380	1,84,643	1,58,659	1,55,652	1,635.82	1,629.90
14		पंजाब	1,32,235	1,18,362	95,803	95,501	1,634.28	1,479.55
15		राजस्थान	3,19,877	2,93,648	2,20,929	2,13,948	4,540.60	3,873.20
16		तमिलनाडु	6,80,347	6,62,750	5,99,095	5,43,051	5,411.29	6,746.17
17		तेलंगाना	2,50,084	2,34,737	2,23,329	1,64,976	1,994.07	2,134.01
18		उत्तर प्रदेश	17,76,823	17,59,457	16,84,828	16,51,389	15,129.04	19,627.56
19		उत्तराखंड	64,391	62,730	39,491	37,934	749.32	634.53
20		पश्चिम बंगाल	6,68,953	6,05,318	4,46,367	4,46,127	6,042.22	5,052.16
उप- कुल (राज्य) :-			**1,13,47,069**	**1,03,83,266**	**84,46,871**	**80,20,831**	**1,11,263.00**	**1,10,239.13**
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरूणाचल प्रदेश	8,499	8,070	8,067	6,851	49.91	72.62
22		असम	1,76,643	1,69,076	1,22,451	1,22,451	1,915.07	1,593.72
23		मणिपुर	56,037	49,333	16,741	16,741	263.56	299.94

24		मेघालय	4,758	4,040	1,899	1,899	38.53	37.06
25		मिजोरम	39,605	39,097	24,482	24,482	171.78	301.83
26		नागालैंड	31,860	31,060	28,428	28,396	149.53	241.53
27		सिक्किम	316	299	202	202	3.98	3.98
28		त्रिपुरा	92,854	87,992	77,025	77,025	536.66	615.45
उप- कुल (एनई राज्य) :-			**4,10,572**	**3,88,967**	**2,79,295**	**2,78,047**	**3,129.02**	**3,166.13**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	376	376	47	47	5.45	2.66
30		चंडीगढ़	1,256	1,256	1,256	1,256	24.09	24.09
31		दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव	9,947	9,947	9,450	9,113	139.48	142.85
32		दिल्ली	29,976	29,976	29,976	29,976	401.79	401.79
33		जम्मू और कश्मीर	47,040	42,055	30,640	30,640	419.17	394.97
34		लद्दाख	1,307	991	877	877	4.00	6.80
35		लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
36		पुदुचेरी	15,995	15,931	10,970	10,970	129.91	160.40
उप- कुल (यूटी) :-			**1,05,897**	**1,00,532**	**83,216**	**82,879**	**1,123.89**	**1,133.56**
कुल योग:-			**118.64 लाख**	**112.74 लाख***	**91.50 लाख***	**88.62 लाख***	**1,15,515.91**	**1,14,538.82**

* इसमें मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के पूर्ण हो चुके (3.41 लाख)/ सौंपे गए (4.8 लाख) और निर्माणाधीन (4.01 लाख) आवास शामिल हैं।

** इसमें पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित स्वीकृति से उस वर्ष जारी की गई केन्द्रीय सहायता भी शामिल है।